

# उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी

www.upsmfac.org



उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी के द्वारा सम्बद्ध, उ०प्र० शासन द्वारा मान्यता प्राप्त पैरामेडिकल प्रशिक्षणों के शासकीय व निजी प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रवेश हेतु, प्रक्रिया, वर्ष 2017–18

(आप इस विवरणिका को निःशुल्क डाउनलोड करके प्रिंट भी कर सकते हैं)

## निर्देश एवं विवरण पुस्तिका

### विशेषः—

- प्रवेश केवल विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थियों का ही होगा।
- कोई प्रवेश परीक्षा या साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा।
- प्रवेश का आधार 10 वीं तथा 12 वीं की परीक्षा में प्राप्त अंकों के जोड़ के आधार पर होगा।
- 10+2 की परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़कर योग्यता सूची (मेरिट लिस्ट) बनाई जायेगी, जिसमें प्रथम स्थान पाने वाले को प्रथम अवसर प्राप्त होगा।
- उ०प्र० में निर्धारित आरक्षण के नियमों का पालन किया जायेगा।
- सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑन—लाइन होगी। जिसमें काउंसिलिंग हेतु आवश्यकतानुसार दो दिनों की सूचना पर बुलाया जा सकेगा।

क्र.सं.	प्रशिक्षण के विषय	शासकीय केन्द्रों में उपलब्ध सीटें	निजी केन्द्रों में उपलब्ध सीटें
1—	डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन	720	315
2—	डिप्लोमा इन एक्स—रे टेक्नीशियन	500	256
3—	डिप्लोमा इन रेडियोथिरेपी टेक्नीशियन	60	—
4—	डिप्लोमा इन फार्मेसी टेक्नीशियन	240	39
5—	डिप्लोमा इन आप्टोमेट्री, डिप्लोमा इन फिजियोथिरेपी, डिप्लोमा इन ओटी० टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन कार्डियोलोजी टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन डायलेसिस टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन सीटी० स्कैन टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन एम०आर०आई० टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन सेनीटेशन एवं डिप्लोमा इन इमरजेन्सी एण्ड ट्रामा केयर टेक्नीशियन	केवल के०जी०एम०य० 30—30 सीट (प्रत्येक प्रशिक्षण)	

## उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी

5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यू रोड, लखनऊ—226001  
फोन नं० : 0522—2238846, [www.upsmfac.org](http://www.upsmfac.org)

## अतिमहत्वपूर्ण तिथियाँ व विशेष सूचनाएँ

फैकल्टी की वेबसाइट [www.upsmfac.org](http://www.upsmfac.org) पर पूरी प्रक्रिया के दौरान महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाती रहेंगी। अतः नियमित रूप से वेबसाइट को देखते रहें।

आवेदन ऑनलाइन (Online) किया जायेगा। आवेदन का शुल्क रु. 800/- मात्र है। अपरिहार्य स्थिति में यदि काउंसिलिंग की गई तो, 500/- प्रति छात्र देय होगी।

ऑनलाइन (Online) आवेदन-पत्र भरने के पूर्व दिशा-निर्देश भली-भांति पढ़ लें। आप इस विवरणिका को डाउनलोड करके प्रिंट भी कर सकते हैं। यह निःशुल्क है।

### **विशेष:-**

- प्रवेश केवल विज्ञान वर्ग (रसायन, भौतिक, जीव विज्ञान/गणित) के अभ्यर्थियों, का ही होगा।
- कोई प्रवेश परीक्षा या साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा।
- प्रवेश का आधार 10 वीं तथा 12 वीं की परीक्षा में प्राप्त अंकों के जोड़ के आधार पर होगा।
- 10+2 की परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़कर योग्यता सूची (मेरिट लिस्ट) बनाई जायेगी, जिसमें प्रथम स्थान पाने वाले को प्रथम अवसर प्राप्त होगा।
- उ0प्र0 में निर्धारित आरक्षण के नियमों का पालन किया जायेगा।
- सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑन-लाइन होगी। जिसमें काउंसिलिंग हेतु आवश्यकतानुसार दो दिनों की सूचना पर बुलाया जा सकेगा।

ऑन-लाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थी वेबसाइट पर दिये गये मानकों के अनुसार अपनी लेटेस्ट रंगीन फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करें। आवेदन पत्र भरने के निर्देशों को अक्षरशः पालन करें।

नियत तिथियों में आप भरे हुये आवेदन पत्रों में करेक्शन कर सकते हैं। तिथि के बाद नये आवेदन या करेक्शन संभव नहीं होंगे।

1	ऑन-लाइन आवेदन प्रारम्भ करने की तिथि	1 नवम्बर, 2017
2	ऑन-लाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि (अंतिम तिथि के बाद आवेदन संभव नहीं होगा)	20 नवम्बर, 2017
3	आवेदन पत्र में आवश्यक सुधार की अंतिम तिथि	22 नवम्बर, 2017
4	मेरिट सूची व प्रशिक्षण केन्द्र आवंटन की तिथि	27 नवम्बर, 2017
5	प्रथम आवंटन के उपरान्त आवंटित केन्द्रों में प्रवेश की अंतिम तिथि	सूचना बाद में उपलब्ध करायी जायेगी।
6	रिक्त स्थानों की सूचना	
7	द्वितीय बार रिक्त स्थानों पर च्वाइस आवेदन की तिथि (प्रथम बार च्वाइस, आवेदन पत्र के साथ ही भरा जाना है)	

## प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु अर्हताएँ

### शैक्षिक अर्हता :

इण्टरमीडिएट विज्ञान ग्रुप परीक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा जो कि केन्द्र अथवा उ0प्र0 शासन से मान्यता प्राप्त हो (ये सभी उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड के समकक्षता प्राप्त होना चाहिये) एवं बायोलाजी ग्रुप अथवा गणित ग्रुप से भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान सहित विषयों से उत्तीर्ण हो। समकक्षता न होने की दशा में अभ्यर्थी का प्रवेश/चयन होने के पश्चात् भी प्रशिक्षण से विरत किया जा सकता है।

### आयु :

अभ्यर्थी को 31 दिसम्बर, 2017 को 17 वर्ष आयु होनी चाहिए, अर्थात् अभ्यर्थी की जन्मतिथि 31 दिसम्बर, 2000 या उसके पूर्व की होनी चाहिए। न्यूनतम आयु सीमा में किसी भी प्रकार की छूट प्रदान नहीं की जायेगी।

### आरक्षण / आरक्षित स्थान :

उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश नियमानुसार आरक्षण देय होंगे। यदि शासन द्वारा कोई आदेश निर्गत होते हैं तो उनका समावेश किया जायेगा।

कृपया ध्यान दें आरक्षण उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशाधीन है। इनमें यदि परिवर्तन शासन द्वारा किया जाता है तो इसका समावेश किसी भी स्तर पर किया जायेगा। इस सम्बन्ध में कोई प्रत्यावेदन आदि मान्य नहीं होगा।

(क) उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा संचालित समस्त प्रवेश परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाता है।

(ख) उन सभी अभ्यर्थियों को जो कि किसी भी श्रेणी में आरक्षण चाहते हों उनसे अपेक्षा की जाती है कि संलग्नकों में दिये गये प्रपत्र सं0 1, 2, 3, 4 में दिये गये प्रोफार्म के अनुसार ही प्रमाण-पत्र संलग्न करें।

(ग) अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में सम्बन्धित आरक्षण अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को आबंटित कर दिया जायेगा।

(घ) आवेदन पत्र भरते समय निश्चित कर लें कि आप किस श्रेणी में आरक्षण चाहते हैं एवं अपनी पात्र श्रेणी में ही आरक्षण हेतु आवेदन करें। कृपया ध्यान दें, आरक्षण श्रेणी में किसी भी तरह का परिवर्तन बाद में सम्भव नहीं होगा।

(ङ) केवल जाति सूचक शब्दों के लिखने से आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। नियमानुसार वांछित आरक्षण का लाभ लेने हेतु प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि आवश्यक है।

(च) अस्पष्ट अथवा निर्धारित प्रारूप (संलग्न) में प्रमाण-पत्र न होने की दशा में भी श्रेणी सामान्य रखी जायेगी और फार्म जमा होने के पश्चात् बदला नहीं जायेगा।

### वर्टिकल आरक्षण :

- |                                |   |     |
|--------------------------------|---|-----|
| 1. अनुसूचित जनजाति (एस0टी0)    | — | 2%  |
| 2. अनुसूचित जाति (एस0सी0)      | — | 21% |
| 3. अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ0बी0सी0) | — | 27% |

योग्यता सूची में यदि प्रथम 50 प्रतिशत स्थानों में कोई आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी योग्यता के आधार पर चयनित होता है तो उसे अपनी श्रेणी में अथवा मेरिट क्रम में उपलब्ध, अपनी पसंद के प्रशिक्षण व सीटों में चयन चाहेगा तब ही उसे अपनी श्रेणी में रख दिया जायेगा।

### आरक्षण के अन्दर आरक्षण :

उदाहरणार्थ :

विशेष आरक्षण यथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/विकलांग व भूतपूर्व सैनिकों के कुल प्रतिशत की मेरिट सूची सम्मिलित रूप से अलग—अलग बनायी जायेगी व उसमें निम्नवत् प्रवेश दिया जायेगा।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का वास्तविक आश्रित अभ्यर्थी यदि प्रदत्त आरक्षण के अंतर्गत पिछड़े वर्ग का है तो उसे अन्य पिछड़े वर्ग के लिए ही आरक्षित सीटों में समायोजित किया जायेगा। इसी प्रकार यदि विकलांग अभ्यर्थियों को प्रदत्त आरक्षण के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थी अनुसूचित जाति या सामान्य श्रेणी का है तो उसे अनुसूचित जाति या सामान्य श्रेणी के लिए आरक्षित सीटों में ही समायोजित किया जायेगा।

### प्रशिक्षण :

केवल एक तकनीकी शैक्षिक योग्यता मात्र है। इसके उपरान्त अभ्यर्थी निजी अथवा सरकारी क्षेत्र में नौकरी करने का पात्र हो जायेगा। प्रशिक्षण पूर्ण कालिक है एवं प्रशिक्षण 2 वर्ष का है। उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी इसकी परीक्षक संस्था है। यह प्रशिक्षण किसी भी सेवायोजन की गारन्टी नहीं है।

### **प्रशिक्षण शुल्क (परिवर्तनीय)**

क्रम	प्रशिक्षण केन्द्र	डिप्लोमा इन फार्मेसी	डिप्लोमा इन एक्स—रे टेक्नीशियन डिप्लोमा इन रेडियोथिरेपी टेक्नीशियन डिप्लोमा इन लैबोरेटरी टेक्नीशियन
1.	शासकीय प्रशिक्षण केन्द्र पर शिक्षण शुल्क	₹. 18000/- प्रतिवर्ष	₹.18000/- प्रतिवर्ष
2.	निजी प्रशिक्षण केन्द्र पर शिक्षण शुल्क	₹. 45,000/- प्रतिवर्ष	₹. 22500/- प्रतिवर्ष दो किश्तों में
3. के०जी०एम०सी० का शिक्षण शुल्क के०जी०एम०य० की वेबसाइट पर उपलब्ध है।			

उपरोक्त शुल्क केवल पठन—पाठन (Tuition Fee) के मद का है।

वेबसाइट – उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी की वेबसाइट [www.upsmfac.org](http://www.upsmfac.org) है।

## प्रशिक्षण केन्द्रों व उपलब्ध सीटों संबंधी महत्वपूर्ण सूचना

### प्रशिक्षण केन्द्र :

प्रशिक्षण केन्द्र व उनकी सीटों की संख्या उ0प्र0 शासन के अनुमोदनोपरान्त निर्धारित की जाती है। इनमें उ0प्र0 शासन द्वारा कभी भी परिवर्तन किया जा सकता है। परिणाम घोषित करने के समय तात्कालीन शासनादेश के अनुरूप ही क्रियान्वयन प्रस्तावित होगा।

### प्रशिक्षण केन्द्र एवं वर्तमान में उपलब्ध सीटों की संख्या : जिन्हें भरा जाना है

क्रम	प्रशिक्षण केन्द्र	शासकीय/निजी	फार्मसी	एक्स-रे टेक्नीशियन	रेडियोथिरेपी टेक्नीशियन	लैबोरेटरी टेक्नीशियन
1	मोती लाल नेहरू मेडिकल कालेज, इलाहाबाद	शासकीय	60	60	—	80
2	एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा	शासकीय	60	60	—	80
3	बी0 आर0 डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर	शासकीय	—	30	—	80
4	एम0 एल0 बी0 मेडिकल कालेज, झाँसी	शासकीय	—	30	—	80
5	जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कालेज, कानपुर	शासकीय	60	60	—	80
6	किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ विशेष : के.जी.एम.यू. द्वारा संचालित अन्य प्रशिक्षणों संबंधी विवरण नीचे दिये गये हैं।	शासकीय	—	60	30	80
7	एल0एल0आर0एम0 मेडिकल कालेज, मेरठ	शासकीय	60	40	—	80
8	उ0प्र0 रुरल इंस्टी. ऑफ मेडिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च, सैफई, इटावा	शासकीय	—	30	—	40
9	डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ	शासकीय	—	30	10	20
10	राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज	शासकीय	—	20	—	20
11	राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन	शासकीय	—	20	—	20
12	राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़	शासकीय	—	20	—	20
13	राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकरनगर	शासकीय	—	20	—	20
14	शेख-उल-हिन्द मौलाना महमूद हसन मेडिकल कालेज, सहारनपुर	शासकीय	—	20	—	20
15	जे0के0 कैंसर संस्थान, कानपुर	शासकीय	—	—	20	—
16	संतोष मेडिकल कालेज, गाजियाबाद	निजी	—	30	—	30
17	सरदार पटेल शिक्षण समिति, लखनऊ	निजी	—	39	—	39
18	सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ	निजी	—	39	—	39
19	इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल, लखनऊ	निजी	39	—	—	—
20	हिन्द इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, बाराबंकी	निजी	—	19	—	39
21	रुहेलखण्ड मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, बरेली	निजी	—	19	—	19
22	कैरियर कालेज ऑफ पैरामेडिकल, लखनऊ	निजी	—	—	—	39
23	टी0एस0 मिश्रा मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, लखनऊ	निजी	—	39	—	39
24	हिन्द इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सीतापुर	निजी	—	26	—	26
25	रामा इन्स्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज, कानपुर	निजी	—	19	—	19
26	मेयो कालेज ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज, बाराबंकी	निजी	—	26	—	26

नोट : उपरोक्त के अतिरिक्त उ0प्र0 शासन के निर्देशानुसार केन्द्रों अथवा सीटों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।

विशेष : किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के डिप्लोमा इन आप्टोमेट्री, डिप्लोमा इन फिजियोथिरेपी, डिप्लोमा इन ओ०टी० टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन कार्डियोलोजी टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन डायलेसिस टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन सी०टी० स्कैन टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन एम०आर०आई० टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन सेनीटेशन एवं डिप्लोमा इन इमरजेन्सी एण्ड ट्रामा केयर टेक्नीशियन प्रशिक्षण में 30 सीट (प्रत्येक पाठ्यक्रम) विषयों को शासनादेश संख्या 3076/71-2-14- एन-50/2014 दिनांक 26.09.2014 के अन्तर्गत मान्यता दी गयी है। इन समस्त प्रशिक्षणों में भी प्रवेश परीक्षा से ही कार्डिन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश लिया जायेगा। इन प्रशिक्षणों के पठन-पाठन की फीस किंज जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित की जायेगी। परीक्षक संख्या ००प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी होगी।

## संलग्नक 1

### प्रपत्र सं० १

(उत्तर प्रदेश की अनुसूचित तथा जनजाति के लिये जाति प्रमाण—पत्र का प्रारूप)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी .....  
तहसील ..... नगर ..... जिला ..... उत्तर प्रदेश राज्य की ..... जाति के व्यक्ति हैं, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 जैसा कि समय—समय पर संशोधित हुआ (संविधान) अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश (आदेश) 1987 के अनुसार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गयी है।  
श्री/ श्रीमती/ कुमारी ..... तथा/ अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम ..... तहसील ..... नगर ..... जिला ..... में सामान्यतया रहता है।

स्थान .....  
दिनांक .....  
मुहर .....

हस्ताक्षर .....  
पूरा नाम .....  
पद नाम .....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

जिलाधिकारी/ अतिरिक्त जिलाधिकारी  
सिटी मजिस्ट्रेट/ परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार

## प्रपत्र सं० २

(उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिये जाति प्रमाण—पत्र का प्रारूप)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी .....  
तहसील ..... नगर ..... जिला ..... उत्तर प्रदेश राज्य की ..... पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं, यह जाति उत्तर प्रदेश की लोक सेवा (अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 की अनुसूची 1 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी ..... उक्त अधिनियम 1994 की अनुसूची 2 (अधिसूचना संख्या 22/ 16/ 12-का-2/ 1995-टी०सी० दिसम्बर, 1985 द्वारा यथा संशोधित) से आच्छादित नहीं है। श्री/ श्रीमती/ कुमारी ..... तथा/ अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम ..... तहसील ..... नगर ..... जिला ..... में सामान्यतया रहता है।

श्री/ श्रीमती/ कुमारी ..... तथा/ अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम ..... तहसील ..... नगर ..... जिला ..... में सामान्यतया रहता है।

स्थान .....  
दिनांक .....  
मुहर .....

हस्ताक्षर .....  
पूरा नाम .....  
पद नाम .....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

जिलाधिकारी/ अतिरिक्त जिलाधिकारी  
सिटी मजिस्ट्रेट/ परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार

संलग्नक-2

**प्रपत्र सं० ३**

(स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिये प्रमाण-पत्र का प्रारूप)

स्वतंत्रता संग्राम सेनारियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिये आरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी .....  
..... पुत्र/पुत्री/पौत्र अविवाहित पुत्र उपरांकित अधिनियम  
1993 के ही प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री/ श्रीमती (स्वतंत्रा संग्राम सेनानी) .....  
के आश्रित हैं।

स्थान .....  
दिनांक .....

हस्ताक्षर .....  
पूरा नाम .....  
पद नाम .....

मुहर .....  
जिलाधिकारी .....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

(सील)

**प्रपत्र सं० ४**

(भूतपूर्व सैनिकों के लिये प्रमाण-पत्र का प्रारूप)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री.....पुत्र श्री..... निवासी .....  
..... सेना की सक्रिय सेवाकाल (जल/नभ/थल) में रहे हैं। वर्तमान में उक्त पद से सेवा निवृत्त हो चुके हैं।

अभ्यर्थी के पूर्ण हस्ताक्षर .....  
दिनांक .....

जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर .....  
पूरा नाम .....

सील

प्रमाणित किया जाता है कि श्री.....पुत्र श्री..... निवासी....  
.....ने भारतीय.....सेना की सक्रिय सेवाकाल.....वर्ष रहा है। वर्तमान में उक्त पद से (जल/नभ/थल) सेवा निवृत्त हो चुके हैं।

दिनांक .....

सेवा के संबंधित यूनिट के अधिकारी के हस्ताक्षर तथा सील  
पूरा नाम .....  
पद नाम सील .....

## Guidelines for applying U.P.State Medical Faculty Paramedical selection

उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में चयन के लिए दिशा निर्देश

अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि निम्नलिखित क्रम के अनुसार आवेदन पत्र भरें।

1. Visit <http://forms.upsmfac.org>

<http://forms.upsmfac.org> पर जाएं

2. Click on **Apply Now** button

“अप्लाई नाउ” के बटन पर क्लिक करें

3. Read the instructions carefully and check the “I have read the prospectus and the instructions Carefully and understood them” check-box. Click on **Continue** button.

अनुदेश को ध्यान से पढ़ें और “आई हैव रेड द प्रॉस्पेक्टस एंड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली एंड अंडरस्टूड देम” चेक बॉक्स को चेक करें। “कंटीन्यू” बटन पर क्लिक करें

अर्थात् आपको पहले अनुदेश पढ़ना है, और समझकर आगे बढ़ने हेतु कन्टीन्यू बटन पर क्लिक करना है।

4. Please click on **Create New Account**. Provide your **First Name, Middle Name, Last Name, Mobile Number, E-mail Address** and click on **Create new account** button. An email shall be sent to your provided **E-mail Address** consisting of **UPSMFAC ID and Password**.

“क्रिएट न्यू अकाउंट” पर क्लिक करें। अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ई-मेल एड्रेस उपलब्ध कराएं और “क्रिएट न्यू अकाउंट” बटन पर क्लिक करें। आपके “ई-मेल एड्रेस” पर एक “ई-मेल” भेजा जाएगा, जिसमें “यूपीएसएमएफएसी आईडी” और “पासवर्ड” दिया जाएगा।

5. Login with the **UPSMFAC ID and Password** sent to your registered **email address**.

आपके रजिस्टर किए हुए ईमेल एड्रेस पर भेजे “यूपीएसएमएफएसी आईडी” और “पासवर्ड” के साथ लॉग इन करें।

6. Select your course preferences and fill up all the necessary information in the online form.

अपने पाठ्यक्रम वरीयताओं का चयन करें और ऑनलाइन प्रपत्र पर सभी आवश्यक जानकारी भरें।

When Preference 1/2/3/4 (**Diploma in X-Ray Technician**) is selected from the dropdown, “**Institute for X-Ray Technician**” will be asked, where the respective institute name shall be shown. Minimum 1 institute or maximum all institute can be selected.

जब वरीयता 1/2/3/4 (डिप्लोमा इन एक्स-रे टेक्नीशियन) को नीचे दिए गए ड्रॉपडाउन से चुना जाए, “इंस्टीट्यूट फॉर एक्स-रे टेक्नीशियन” पूछा जाएगा, जहाँ संबंधित संस्थान का नाम दिखाया जाएगा। न्यूनतम 1 संस्थान या अधिकतम सभी संस्थान का चयन किया जा सकता है।

When “**Diploma in Radiotherapy Technician**” is chosen in “Preference 1/2/3/4”, then “**Institute for Radiotherapy Technician**” will be asked, where the respective institute name shall be shown. Minimum 1 institute or maximum all institute can be selected.

जब "प्राथमिकता 1/2/3/4" में "डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन" चुना जाता है, तब "इंस्टीट्यूट फॉर रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन" पूछा जाएगा, जहाँ संबंधित संस्थान का नाम दिखाया जाएगा। न्यूनतम 1 संस्थान या अधिकतम सभी संस्थान का चयन किया जा सकता है।

When “**Diploma in Pharmacy**” is chosen in “Preference 1/2/3/4”, then “**Institute for Pharmacy**” will be asked, where the respective institute name shall be shown. Minimum 1 institute or maximum all institute can be selected.

जब "वरीयता 1/2/3/4" में "डिप्लोमा इन फार्मसी" चुना जाता है, तो "इंस्टीट्यूट फॉर फार्मसी" पूछा जाएगा, जहाँ संबंधित संस्थान का नाम दिखाया जाएगा। न्यूनतम 1 संस्थान या अधिकतम सभी संस्थान का चयन किया जा सकता है।

When “**Diploma in Laboratory Technician**” is chosen in “Preference 1/2/3/4”, then “**Institute for Laboratory Technician**” will be asked, where the respective institute name shall be shown. Minimum 1 institute or maximum all institute can be selected.

जब "डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्नीशियन" को "प्राथमिकता 1/2/3/4" में चुना जाता है, तब "इंस्टीट्यूट फॉर लेबोरेटरी टेक्नीशियन" पूछा जाएगा, न्यूनतम 1 संस्थान या अधिकतम सभी संस्थान का चयन किया जा सकता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित विशय किंग जार्ज मेडिकल यूनीवर्सिटी में ही ही उपलब्ध हैं। यदि इन 8 विषयों को लेना है तो केंजी०एम०य०० केन्द्र का नाम विलक करें तथा 1 से लेकर सभी च्वाइस भरें।

डिप्लोमा इन आप्टोमेट्री, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी, डिप्लोमा इन ओ०टी० टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन कार्डियोलोजी टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन डायलोसिस टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन सी०टी० स्कैन टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन एम०आर०आई० टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन सेनीटेशन एवं डिप्लोमा इन इमरजेन्सी एण्ड ट्रामा केयर टेक्नीशियन

**Note:**

- Under “Personal Information” section, if Category will be chosen as “Other” then “Please Specify” will be asked.  
"व्यक्तिगत जानकारी" अनुभाग के अंतर्गत, अगर श्रेणी को "अन्य" के रूप में चुना जाएगा तो "कृपया निर्दिष्ट करें" पूछा जाएगा।

2. Under "Personal Information" section, if Nationality will be chosen as "Other" then "Please Specify" will be asked.

"व्यक्तिगत सूचना" अनुभाग के तहत, अगर राष्ट्रीयता को "अन्य" के रूप में चुना जाएगा तो "कृपया निर्दिष्ट करें" से पूछा जाएगा।

3. Age should be 17 yrs or above.

उम्र 17 साल या उससे अधिक होने चाहिए

4. In 12<sup>th</sup> Subject Details, Physics & Chemistry are mandatory and needs to be filled up. Any one in between Maths or Biology is mandatory and needs to be filled up.

12th के विषय विवरण में, भौतिकी और रसायनशास्त्र अनिवार्य हैं और उन्हें भरने की आवश्यकता है। गणित या जीवविज्ञान में से कोई एक अनिवार्य है और उसे भरने की जरूरत है।

5. For any other subjects of 12<sup>th</sup> other than Physics, Chemistry, Maths or Biology, use Subject 1 and Subject 2 options to fill in the details.

भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित या जीवविज्ञान के अलावा 12 वीं के किसी अन्य विषय के लिए, विवरण भरने के लिए विषय 1 और विषय 2 विकल्प का उपयोग करें।

6. Under "Address Section", if **Permanent Address** is same as **Present Address** then click on "Yes", else fill the "**Permanent Address**" section.

"पता अनुभाग" के तहत, यदि परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस के समान है तो फिर क्लिक करें "हाँ", फिर "परमानेंट एड्रेस" अनुभाग भरें।

7. Upload soft copies of passport size photo, signature, 10<sup>th</sup> & 12<sup>th</sup> mark sheets.

पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर, 10 th एंड 12th अंक पत्रक की सॉफ्ट कॉपी अपलोड करें।

8. Click on **I Agree** of the Declaration

घोषणा पत्र में I Agree पर क्लिक करें।

9. Click on **Submit** to go to make an **Online Payment**. Don't click on **Back** button while making payment. There are two online payment modes 1. Credit Card/Debit Card 2. Net Banking (Follow the instruction shown on the screen as per your choice)

ऑनलाइन पेमेंट के लिये सबमिट बटन पर क्लिक करें। ऑनलाइन पेमेंट क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड अथवा नेट बैंकिंग के द्वारा किया जा सकता है।

**Note:**

**नोट:**

1. If payment is not successful, you can login to visit you **Profile** section and to make payment click on **Make Payment** option under Payment Status.

अगर पेमेंट सफल नहीं होता है, तो आप प्रोफाइल अनुभाग पर जाने के लिए लॉग इन कर सकते हैं और भुगतान करने के लिए आप पेमेंट स्टेटस के तहत “मेक पेमेंट” विकल्प पर क्लिक कर सकते हैं।

2. Visit **Profile** section and **click on the Application link** to view and print your application any time.

प्रोफाइल अनुभाग पर जाएं और अपने एप्लिकेशन को किसी भी समय देखने और प्रिंट करने के लिए एप्लिकेशन लिंक पर क्लिक करें।

3. You have successfully submitted the form by following the above-mentioned steps.

आपने ऊपर दिए गए चरणों का पालन करके सफलतापूर्वक फॉर्म जमा कर लिया है।

# Marks Normalization Document

अंक सामान्यकरण दस्तावेज़

**Normalization** of marks is the process of converting the marks obtained by students from boards other than **The Board of High School and Intermediate Education Uttar Pradesh** in the subjects concerned, comparable to that of **The Board of High School and Intermediate Education Uttar Pradesh**

अंकों के सामान्यीकरण, हाईस्कूल और इंटरमीडिएट शिक्षा उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य बोर्डों के छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को परिवर्तित करने की प्रक्रिया है, जो कि हाईस्कूल विद्यालय और इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड के साथ तुलना में संबंधित विषयों में है।

## Eligibility & Shortlisting Criteria:

पात्रता और शॉर्टलिस्टिंग मानदंड:

1. Selection Criteria for candidates will done in two stages. Only the candidates obtaining a positive (greater than zero) marks in Physics, Chemistry and Mathematics/Biology will be considered for all the subsequent stages.  
उम्मीदवारों का चयन दो चरणों में किया जाएगा। केवल भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित / जीवविज्ञान में सकारात्मक (शून्य से अधिक) अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को ही बाद के सभी चरणों के लिए माना जाएगा।
- 2- At different stages of the selection process '**Application Rating**' (**AR**) marks of an applicant will be used. An **applicant's AR** marks is the sum of the normalized marks 'A', and 'B' based on their percentage of marks obtained in the **10th** standard and the **12th** class standard respectively.  
चयन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में एक आवेदक के 'एप्लिकेशन रेटिंग' (एआर) अंक का इस्तेमाल किया जाएगा। एप्लिकेशन के एआर स्कोर में सामान्यीकृत अंक 'ए' और 'बी' का योग है, जो क्रमशः 10 th कक्षा और 12 th कक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर आधारित है।
- 3- The marks in respect of candidates who have come from **The Board of High School and Intermediate Education Uttar Pradesh** will not be subjected to any Normalization. The marks obtained by such candidates in the subjects considered will be taken as such for ranking purposes.  
द बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश से आए उम्मीदवारों के संबंध में अंक किसी भी सामान्यकरण के अधीन नहीं होंगे। माना जाता है कि विषयों में ऐसे उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त किए गए चिह्नों को रैंकिंग उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाएगा।

The Normalization of marks of candidates of other Boards will be carried out as per formula given below

नीचे दिए गए सूत्र के अनुसार अन्य बोर्डों के उम्मीदवारों के अंकों का नार्मलाइजेशन किया जाएगा।

**For Marks AR A (for 10<sup>th</sup> Std)**

फॉर स्कोर एआर ए (फॉर 10th स्टैणडर्ड)

The marks received at the actual board will be considered as standard on satisfying minimum eligibility criteria.

वास्तविक बोर्ड में प्राप्त अंक न्यूनतम पात्रता मानदंडों को संतोषजनक करने पर मानक माना जाएगा।

**For Marks AR B (for 12<sup>th</sup> Std)**

फॉर स्कोर एआर ए (फॉर 12th स्टैणडर्ड)

This formula is arrived at through different stages as described below:

We have taken Average marks of candidates applying through The Board of High School and Intermediate Education Uttar Pradesh as Yup where

जैसा कि नीचे बताया गया है, यह सूत्र अलग चरणों के माध्यम से आया है:

हम हाई स्कूल और इंटरमीडिएट शिक्षा उत्तरप्रदेश के माध्यम से यूप के रूप में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के औसत अंक ले चुके हैं

Yup= Mean of Uttar Pradesh Board students' marks, to be calculated as

Yup= उत्तरप्रदेश बोर्ड के विद्यार्थियों के अंक के रूप में गणना की जानी चाहिए

Yup=  $\{x_1+x_2+x_3+\dots+x_N\}/N$

Where x1, x2, x3 are eligible candidates from UP Board who have applied.

Yup=  $\{x_1+x_2+x_3+\dots+x_N\}/N$

जहां एक्स 1, एक्स 2, एक्स 3, यूपी बोर्ड से पात्र उम्मीदवार हैं, जिन्होंने आवेदन किया है।

Consider a candidate from any other Board who is eligible and has applied to the exam. Let us consider that average marks of applicants applying via that board is  $Y_o$  where

किसी भी अन्य बोर्ड के उम्मीदवार पर विचार करें जो कि पात्र है और परीक्षा में आवेदन किया है। आइए हम विचार करें कि उस बोर्ड के माध्यम से आवेदन करने वाले आवेदकों के औसत अंक  $Y_o$  हैं जहाँ

$Y_o$  = Mean of Other Boards' students' marks, to be calculated as

$$Y_o = \{a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_N\} / N$$

Where  $a_1, a_2, a_3$  are eligible candidates from other board who have applied.

$Y_o$  = अन्य बोर्डों के छात्रों के अंक के रूप में गणना की जानी चाहिए

$$Y_o = \{a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_N\} / N$$

जहाँ  $a_1, a_2, a_3$  अन्य बोर्डों से पात्र उम्मीदवार हैं, जिन्होंने आवेदन किया है।

Normalizing Factor for the Other Board =  $Y_o / Y_{up} = k$

अन्य बोर्ड के लिए सामान्यीकृत फैक्टर =  $Y_o / Y_{up} = k$

The normalized marks of student at Other board =  $k * a_1, k * a_2, k * a_3, \dots, k * a_N$

which is AR Marks B of these Candidates.

अन्य बोर्ड पर छात्र के सामान्यीकृत अंक =  $k * a_1, k * a_2, k * a_3, \dots, k * a_N$  जो इन उम्मीदवारों के एआर स्कोर बी है।

**FSC (Final Marks of Candidate) = {w1\*AR Marks A} + {w2\*AR Marks B}**

Where  $w_1, w_2$  are percentage weightage assigned to AR Marks A and AR Marks B respectively.

एफएससी (फाइनल अंक ऑफ़ कैंडिडेट) = { $w_1 * AR Marks A$ } + { $w_2 * AR Marks B$ }

जहाँ  $w_1, w_2$  प्रतिशत क्रमशः एआर स्कोर ए और एआर स्कोर बी को सौंपा जाता है।

Notes About the **Normalization** Norms:

## नार्मलाइजेशन के बारे में नोट्स:

If any board/institution awards only letter grades without providing an equivalent percentage of marks on the grade-sheet, the candidate should obtain a certificate from the board/institution specifying the equivalent marks which should be used for filling the online application form. The original equivalence certificate needs to be submitted at the time of interview, if shortlisted for the same.

अगर कोई बोर्ड / संस्था / वि विद्यालय पुरस्कार केवल पत्र ग्रेड ग्रेड-शीट पर अंकों के बराबर प्रतिशत दिए बिना, उम्मीदवार को बोर्ड / संस्था / वि विद्यालय से एक प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए, जो समकक्ष अंक निर्दिष्ट करते हैं जिनका इस्तेमाल ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए किया जाना चाहिए। मूल तुल्यता प्रमाण पत्र को साक्षात्कार के समय प्रस्तुत किया जाना चाहिए, अगर इसके लिए शॉर्टलिस्ट किया गया हो।

अगर कोई बोर्ड/इंस्टीट्यूट में केवल ग्रेड ही अंक पत्र पर दिये जाते हैं और उनके समकक्ष अंक प्रति तात नहीं दिया जाता है तो वह छात्र/छात्राओं को संबंधित बोर्ड से समकक्ष अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र प्राप्त कर ऑनलाइन आवेदन फार्म भरना होगा एवं यदि वे चयनित होते हैं तो वह अंकपत्र प्रवे 1 के समय साथ रखना होगा।